an>

Title: Need to formulate National policy to prevent human trafficking especially of girls and children particularly from Jharkhand.

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर):माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे शून्य काल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका ध्यान झारखंड में मानव तस्करी से संबंधित मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी हाल ही में केरल में झारखंड के 224 बच्चों को दलालों के चंगुल से छुड़ाया गया। केरल के तीन शहर त्रिसुर, पालाकाड और कोझीकोड से झारखंड के 224 छोटे बच्चों समेत 600 बच्चों को छुड़ाया गया। झारखंड निर्माण से 13 वर्षों का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा। झारखंड अपार संभावनाओं का राज्य रहा है लेकिन आज यह मानव तस्करी का गढ़ बन गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल झारखंड से 30,000 से ज्यादा लड़कियों की तस्करी बड़े शहरों में होती है। लड़कियां दिल्ली जैसे बड़े शहरों में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए पहुंचाई जाती हो। कुछ दिनों बाद ये बच्चे बंधुआ मजदूर बन जाते हैं और जबदस्ती काम कराया जाता है। इनके साथ शारीरिक, यौन शोषण, प्रताड़ना एवं मारपीट होता है। इन्हें अपने परिजनों से मिलने तथा बात करने की आजादी नहीं होती है। पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों में इन लड़कियों को शादी के नाम पर बेचा जाता है। यूएनओ द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मानव तस्करी से निपटने में 2013 में पूरी तरह असफल रहा। गौरतलब है कि 90 प्रतिशत पलायन देश के अंदर ही होता है। निसंदेह गरीबी ही इसका मुख्य कारण है। इस अपराध को रोकने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार की है जो इसमें पूरी तरह विफल रही है। अतः इसे रोकने हेतु एक बहुआयामी नीति बनाई जाए।